गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
विकास पथ, गाजियाबाद।

आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण पत्र

पत्रांक : 734 /प्रवर्तन जोन–4/2017, दिनांक : 29/12/17

सेवा में,

मैसर्स लैण्डक्राफ्ट डेवलपर्स प्रा0लि0
द्वारा डायेक्टर श्री मनु गर्ग पुत्र श्री रविन्द्र कुमार गर्ग,
गोल्फलिंक इन्टीग्रेटिड टाउनशिप, एन.एच.–24, नियर कोलम्बिया एशिया हॉस्पिटल,
महरौली, गाजियाबाद।

विषयः **मैसर्स लैण्डक्राफ्ट डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पॉकेट P-1, Tower-1D एवं 2D इन्टीग्रेटिड टाउनशिप, गोल्फलिंक, एन.एच.–24, ग्राम–महरौली, गाजियाबाद पर स्वीकृत ''लैण्डक्राफ्ट गोल्फलिंक'' के आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण पत्र हेतु स्वकीय आवेदन दिनांक 16.10.17 के क्रम में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक **26.12.17** को निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के साथ आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण पत्र जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गयी :–

1- सभी विभागों ***(विद्युत, लिफ्ट, जनरेटर, फायर, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, पर्यावरण विभाग, स्ट्रक्चर सेफ्टी, लेबर सेस, हिण्डन एयरपोर्ट, भू–गर्भ जल उपयोग इत्यादि)*** से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों में उल्लेखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा की स्थिति में निर्गत आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जायेगा।

2- शमनित मानचित्र संख्या–49/प्रवर्तन जोन–4/2017, दिनांक 28.01.2017 के विपरीत भविष्य में कभी भी निर्माण किये जाने अथवा पाये जाने पर आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

3- भवन के स्ट्रक्चर की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।

4- शमनित/स्वीकृत मानचित्र की सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

5- रेनवाटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन व रखरखाव की पूर्ण जिम्मेदारी पक्ष की होगी।

6- आर.डब्लयू.ए. को हैण्डओवर से पूर्व पार्किंग के रखरखाव की पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।

7- एस.टी.पी. से प्राप्त समस्त ट्रीटेड वाटर को रिसाइकिल कर विकासकर्ता द्वारा उद्यानिकरण कार्यों में प्रयोग किया जायेगा।

8- आर.डब्ल्यू.ए. को हस्तान्तरण से पूर्व लिफ्ट व जेनरेटर के वार्षिक अनुरक्षण की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।

9- यदि त्रुटिवश कोई धनराशि अवशेष रहती है तो प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर विकासकर्ता को प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा।

10- इन्टीग्रेटिड टाउनशिप के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के साथ इन टावरों का भी प्रमाण पत्र लेना होगा।

11- अपार्टमेंट एक्ट–2010 के अन्तर्गत सामुदायिक सुविधाओं के स्थान परिवर्तन के सम्बन्ध में आवंटियों व आर.डब्ल्यू.ए. द्वारा भविष्य में कोई आपत्ति की जाती है तो समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा व विवाद की स्थिति में जारी सम्पूर्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के साथ मैसर्स लैण्डक्राफ्ट डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पॉकेट **P-1, Tower-1D** एवं **2D**, इन्टीग्रेटिड टाउनशिप, गोल्फलिंक, एन.एच.–24, ग्राम–महरौली, गाजियाबाद पर स्वीकृत ''लैण्डक्राफ्ट गोल्फलिंक'' के आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

(विनय कुमार जैन)
अधिशासी अभियन्ता/प्रभारी प्रवर्तन जोन–4

पृष्ठांकन संख्याः /प्रवर्तन जोन–4/2017 दिनांक
प्रतिलिपि– सचिव महोदय को सूचनार्थ।

अधिशासी अभियन्ता/प्रभारी प्रवर्तन जोन–4

Scanned by CamScanner